[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, ...सितम्बर, 2025

सा.का.नि. (अ).- निम्नलिखित भर्ती नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त भर्ती नियमों के प्रारूप पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिसको आधिकारिक राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन मसौदा भर्ती नियमों पर आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 ईमेल: anrf-director@anrf.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

उक्त मसौदा भर्ती नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों या सुझावों, यदि कोई हों, पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, लेखा अधिकारी की भर्ती पद्धति, वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2025 है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवर्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(a) 'अधिनियम' से अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) अभिप्रेत है;

(b) "प्रतिष्ठान" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अभिप्रेत है;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, और

(घ) जो शब्द और वाक्यांश इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अभिप्राय होंगे जो इस अधिनियम में उनके लिए नियत किए गए हैं।

3. आवेदन.- ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

5. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. नियुक्ति प्राधिकारी.- प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

7. चिकित्सा सुविधा: बोर्ड के अधिकारी नीचे विनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधा के हकदार होंगे:

क) बाहरी चिकित्सा उपचार.- (1) अधिकारी स्वयं एवं घोषित परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "परिवार" शब्द का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 में दिया गया है।

(2) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की पहली जनवरी को एक माह के वेतन (मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता) जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

बशर्ते कि वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि या पदोन्नति जारी होने से 1 जनवरी की सीमा प्रभावित नहीं होगी।

(3) चिकित्सा दावे के समर्थन में चिकित्सा अधिकारी का पर्चा और उपचार तथा दवाओं की खरीद के मूल कैश मेमो या बिल होने चाहिए, जो चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर से प्रमाणित होने चाहिए।

(4) 1 जनवरी के बाद वर्ष के दौरान ड्यूटी में शामिल होने वाले अधिकारी के लिए वार्षिक पात्रता आनुपातिक आधार पर प्रतिबंधित होगी।

(5) आउटडोर उपचार केवल फाउंडेशन द्वारा विधिवत पैनलबद्ध प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों से ही प्राप्त किया जाएगा।

(6) दीर्घकालिक बीमारियों के मामले में, दवाओं और परीक्षणों की लागत, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त या कवर किए गए अस्पतालों का परचा स्वीकार्य होगा।

(7) लागत गहन उपचार के प्रयोजनों के लिए, प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिचारक नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट दरों पर, अलग-अलग मामले के आधार पर प्रतिष्ठान के अनुमोदन से स्वीकार्य होगी।

(8) आपातकालीन स्थिति में, अधिकारी निकटतम अस्पताल में उपचार प्राप्त कर सकता है और चिकित्सा अधिकारी या अस्पताल प्राधिकारी द्वारा आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ख) इनडोर चिकित्सा उपचार.- (1) इनडोर चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए, अधिकारी इस संबंध में प्रतिष्ठान द्वारा अधिकृत अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने के लिए पात्र होगा और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल आवास, नर्सिंग होम सुविधा सहित उपचार की लागत केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944

के प्रावधानों के अनुसार होगी, जो वेतन मैट्रिक्स में समकक्ष वेतन प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकार अधिकारियों पर लागू होती है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार वही होगा जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 के अनुसार उपचार प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए अनुमेय है।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार, आपातकालीन मामलों को छोड़कर केवल प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर ही प्राप्त किया जाएगा।

8. सेवानिवृत्ति लाभ: नई पेंशन योजना/एकीकृत पेंशन योजना/ग्रेच्युटी आदि के प्रावधान, जो संबंधित वेतन स्तर के केंद्रीय सरकारी अधिकारियों पर लागू होते हैं, प्रतिष्ठान के अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

9. अनर्हता:- वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु कि यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

10. अवशिष्ट उपबंध.- अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को धारण करने वाले अधिकारी की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध विनिर्दिष्ट नहीं है, वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों पर उस समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

11. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिए आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

12. शिथिलन की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकती है।

अनुसूची

पदनाम.	पदों की संख्या.	वर्गीकरण.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर.	चाहे चयन पद हो या गैर-चयन पद।	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. लेखा अधिकारी.	1 * (2025)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'बी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9	गैर-चयन.	लागू नहीं.

	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन.	राजपत्रित, अननुसचिवीय।	(Rs.53,100-1,67,800).		

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं.	लागू नहीं.	लागू नहीं.	अल्पकालिक अनुबंध सहित पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति.

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

(11)

क) प्रोन्नतिः

i) अनुभाग अधिकारी जिसने वेतन मैट्रिक्स (47,600-1,51,100 रुपये) या समकक्ष में स्तर-8 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

ii) अनुभाग अधिकारी जिसने वेतन मैट्रिक्स (44,900 - 1,42,400 रुपये) या समकक्ष में स्तर-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा की हो।

नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में उपरोक्त निर्धारित वर्षों की सेवा वाले विभागीय अनुभाग अधिकारियों पर भी प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उन्हें पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पणी- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(ख) **प्रतिनियुक्तिः**

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी या वैधानिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी, -

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स (47,600-1,51,100 रुपये) या समकक्ष में स्तर-8 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iii) वेतन मैट्रिक्स (44,900-1,42,400 रुपये) या समकक्ष में स्तर-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित योग्यताएं रखने वाले: -

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की डिग्री; या

(ii) उपर्युक्त केन्द्रीय/राज्य कार्यालयों में रोकड़, लेखा और बजट कार्य में कम से कम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे,- (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी - अध्यक्ष, (2) प्रतिष्ठान के निदेशक - सदस्य, (3) प्रतिष्ठान के वैज्ञानिक-ई - सदस्य।	लागू नहीं.

[फाइल. सं. आरआर/ऐऐनआरएफ/सीएफओ, सीओओ एवं ऐओ/2025]

(सुनील कुमार)
अपर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-26962216